न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल भोपाल

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/6355 अपील/रिवीजन क्रमांक–

1. रामकरण आदिवासी पुत्र श्री हल्कु आदिवासी आयु 52 वर्ष, निवासी–ग्राम पोस्ट महगवांकलां, तहसील सिलवानी, जिला रायसने म0प्र0
2. लक्ष्मण पुत्र बारे वीर आयु वयस्क
3. अजनलाल पुत्र बारे वीर आयु वयस्क
4. कोमल पुत्र बारे वीर आयु वयस्क
5. चंदन पुत्र बारे वीर आयु वयस्क
   सभी निवासी–ग्राम गुंदरई तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0
6. शंकर पुत्र बट्टू आयु वयस्क
   निवासी–ग्राम गुंदरई तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0

---रिवीजनकर्ता/अपीलार्थी

विरूद्ध

1. रामकली पत्नी श्री छत्तर आयु 65 वर्ष
2. मोहन आत्मज श्री छतर आयु 40 वर्ष
3. रामप्रकाश आत्मज श्री छतर आयु 38 वर्ष
4. भूरा आत्मज श्री छतर आयु 36 वर्ष
5. सुग्रीव आत्मज श्री छतर आयु 35 वर्ष
6. सुनीता पुत्री छत्तर आयु 42 वर्ष
7. सखी बाई पुत्री छत्तर आयु 34 वर्ष
8. मानती पुत्री छत्तर आयु 45 वर्ष
9. देवी गौंड आदिवासी पुत्र स्व0 श्री किशन आयु वयस्क
10. कमोदी गौंड आदिवासी पुत्र स्व0 श्री किशन आयु वयस्क
11. सेवंती बाई पुत्री स्व. श्री किशन आयु वयस्क
    निवासी–ग्राम सनाईडार, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन म0प्र0

निरन्तर.....2

12. माननीय अनुविभागीय अधिकारी (डिम)
मुआजता वितरण, गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0

13. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ
इण्डिया शाखा सिलवानी
जिला रायसेन --- अनावेदक/उत्तरार्थी

रिवीजन/अपील अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता/अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है :-

-: प्रकरण के तथ्य :-

यह कि रिवीजनकर्ता/अपीलार्थी एवं अनावेदक/उत्तरार्थी आपस में सगे चाचा व भाई है। रिवीजनकर्ता/अपीलार्थी के पिता स्व. श्री हल्कु आदिवासी पुत्र श्री साहब सिंह आदिवासी की कृषि भूमि ग्राम सनाईडार, प.ह.नं.-27, खसरा क्रं.- 122, 172/4, 173/4, 181/4 कुल रकबा 4.51 एकड़ स्थित है। रिवीजनकर्ता/अपीलार्थी के दादा स्व0 श्री साहब सिंह पुत्र स्व0 श्री मूरत सिंह के चार पुत्र थे जिनमें बड़ा पुत्र किशन, छोटा पुत्र हल्कु, बट्टू एवं बारेवीर आदि थे, स्व0 श्री साहब सिंह के नाम से उपरोक्त खसरों में दर्शित कृषि भूमि उनके नाम से थी स्व0 श्री साहब सिंह पुत्र मूरत सिंह आदिवासी की मृत्यु के उपरांत उनके बड़े पुत्र किशन आदिवासी के नाम से दिनांक 30.10.61 राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हो गई। जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि स्व0 साहब सिंह के चार पुत्र थे, परन्तु बड़े पुत्र किशन ने बड़ी चालाकी से रिवीजनकर्ता/अपीलार्थी के पिता के हक की जमीन अपने नाम करा ली।

यह कि जमीन का फोतीनामांतरण होने के बाद साहब सिंह के चारों पुत्रों की मृत्यु हो गई। किशन एवं हल्कु उस कृषि भूमि पर कृषि करते आ रहे है। अपीलार्थी/रिवीजनकर्ता बिना पढ़ेलिखे आदिवासी व्यक्ति थे, उनको इस बात की जानकारी नही थी, कि

निरन्तर.....3

इस जमीन का फोतीनामांतरण किशन लाल के नाम से हो गया है, जबकि अपीलार्थी/रिवीजनकर्ता उक्त खेती को करते आ रहे है, पढ़ेलिखे न होने के कारण उनको इस बात की जानकारी नही थी, राजस्व रिकार्ड में उनका नाम है या नहीं। राजस्व रिकार्ड का पता अपीलार्थी को जब चला, जब उपरोक्त कृषि भूमि डेम बनने के कारण डूबे में चली गई तथा शासन द्वारा वितरित मुआवजा जब अपीलार्थी / रिवीजनकर्ता के नाम नही आया, तब पता करवाया कि उनके नाम से जमीन नहीं है। इस कारण से रिवीजनकर्ता / अपीलार्थी ने राजस्व रिकार्ड निकलवा कर माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिलवानी जिला रायसेन में अपील प्रस्तुत की थी जिसमें रिवीजनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उत्तरार्थियों द्वारा अपील के दौरान कोई भी आपत्ति या धारा 5 का जबाव नहीं दिया गया फिर भी माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जिसका आदेश दि. 19.02.16 को अपील क्र.-12/अपील/ अ-6/ 2013-14 को इस आधार पर निरस्त कर दी गयी कि इस प्रकरण में सिविल न्यायालय का अधिकार है।

यह कि रिवीजनकर्ता / अपीलार्थी द्वारा दुखित होकर यह अपील माननीय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई माननीय अपर आयुक्त द्वारा भी दिनांक 30/11/17 को अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिलवानी जिला रायसेन का आदेश को स्थिर रखते हुए इस आधार पर खारिज कर दी कि स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने के कारण इस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय को है इस कारण से अपील निरस्त कर दी गयी।

माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा अपीलार्थी की अपील पंजीबद्ध भी नहीं की गई है।

निरन्तर.....4

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 6355

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है कि दिनांक 30–10–1961 को अनावेदक पक्ष में हुए नामांतरण के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा 52 वर्ष तक कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट कारण दर्शाया गया है । आवेदक पक्ष द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नाम अंकित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने से स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, जिसका निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है, जिसके लिए पक्षकार स्वतंत्र हैं । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	